तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
06.02.26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक प्रार्थीगण। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपजिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 70/94 में पारित आदेश दिनांक 16–04–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपजिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष एक वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे सहायक कलक्टर एवं उपजिला कलक्टर, राजसमन्द ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 16–04–2002 के द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को निगरानी पर सुना गया। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर न्यायालय प्रारम्भिक स्तर पर बिना विचारण किये वाद निस्तारण कर सकता है। किसी भी जमीन का बिला नाम घोषित कराने का दावा राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के किसी प्रावधान में लाई नहीं होता है, तथा धारा 207 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अनुसार केवल तृतीय अनुसूची में बताये गये दावे ही इस न्यायालय	

मे लाई होते है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने यह आपत्ति उठाई कि किसी भी जमीन को बिला नाम चरनोट आदि घोषित कराने के लिए दावा रेवेन्यु कोर्ट में लाई नहीं होता है वह दावा केवल सिविल कोर्ट में हीं लाई होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विपक्षी गण को ऐसा दावा करने का अधिकार नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज नहीं कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है। इस तरह वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विचारण राजस्व न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांतः– AIR- 1995- S-C- 2001, AIR - 1995 S.C- 1955. RLW- 2000 P- 1205. RRD- 1988 P-577. AI R- 2003 S-C-P-759. RRT- 2009 P- 638. RRD 1998 P670. RRT- 2006Supp 515 RRD 1981 P 9462 प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

5. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व तहत के अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निरस्त करने का कारण यह अंकित किया है कि वाद में तनकीयात कायम हो चुकी है इसलिये प्रतिवादी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन हाने के कारण खारिज किया जाता है।

7. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तुत वाद में जिन आधारों पर अनुतोष चाहा गया है वे आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 में प्रतिबंधित नहीं है तथा वाद में वादकारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। इस सबंध में पक्षकारान के पक्ष में सृजित होने वाले अधिकारों बाबत् निर्णय मूल वाद में साक्ष्य–जवाब आदि की लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह अपने आदेश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के खारिज करने युक्तिसंगत कारण अंकित करते। वाद प्रतिवादीनगण के हक में किये गये गलत इन्द्राज खारिज कराये जाने से संबंधित है जिसका निर्धारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों

से होगा। वाद में तनकीयात कायम की जा चुकी है। इसलिये आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के किसी भी उपनियम से वाद खारिज किये जाने योग्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी, विधिक अथवा तथ्यात्मक ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं होती है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके।

8. परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि आईन्दा प्रार्थना पत्र को खारिज अथवा स्वीकार किये जाने के युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत कारण अंकित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। तहत का अभिलेख मय आदेश प्रति शीघ्र लौटाया जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य